



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 22.10.2024

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा**

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

**विवरण** –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

### **अभियोग-**

1. थाना नरैनी पर पंजीकृत अभियोग 60/99 धारा 325/323/504 भादवि के अभियुक्त रजउवा उर्फ रजा हुसैन पुत्र रउफ खान निवासी हड़हा थाना नरैनी जनपद बांदा को 02 वर्ष के कारावास व 8000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
2. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग 117/04 धारा 25 आयु अधि0 के अभियुक्त चुनकु पुत्र छितानी निवासी मुख्तार थाना बबेरु जनपद बांदा को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।